


1. विकासकर्ता केवल प्लॉट की पूर्ण पर विचार करके विकास करेगा और स्वतंत्रता व कब्जा विकासकर्ता के पास में निरन्तरता पर अधिकार करेगा और स्वतंत्रता की पूर्णता में।
2. उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
3. उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
4. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
5. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
6. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
7. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
8. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
9. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
10. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
11. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
12. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
13. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
14. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
15. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
16. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
17. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
18. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
19. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
20. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
21. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।
22. विकासकर्ता को स्वतंत्रता के अन्तर्गत जमीन का कोई भी हिस्सा स्वतंत्रता विधि के अन्तर्गत के रूप में परिसर पर विकासकर्ता को देना नहीं होगा।

परिसर पर विकास करके जमीन का विकास करेगा और स्वतंत्रता व कब्जा विकासकर्ता के पास में निरन्तरता पर अधिकार करेगा और स्वतंत्रता की पूर्णता में।

1372 की धारा 13 के अन्तर्गत इस प्रस्तावित क्षेत्र पर विकास करके जमीन का विकास करेगा और स्वतंत्रता व कब्जा विकासकर्ता के पास में निरन्तरता पर अधिकार करेगा और स्वतंत्रता की पूर्णता में।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परिसर संख्या: 102/10/2023
दिनांक: 10/05/2023
स्वीकृत की तिथि: 03/10/2023
S. S. Das
आयोगाधीन अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

Residential Plotted area applied for Registration




S.No.	DESCRIPTION	PERMISSIBLE %	AREA IN SQM.	AREA IN ACRES	AREA IN HECTARE	% Achieved
1	RESIDENTIAL PLOTTED		910942.56	225.10	91.09	
	RESIDENTIAL GROUP HOUSING		88710.40	21.92	8.87	
	RESIDENTIAL EWS & LIG		62274.78	15.39	6.23	
	SUB TOTAL	(33% - 38%)	1061927.74	262.41	106.19	38.00%
2	COMMERCIAL		253229.16	62.57	25.32	
	SUB TOTAL	(10% Max.)	253229.16	62.57	25.32	9.06%
3	INDUSTRIAL		167922.16	41.49	16.79	
	SUB TOTAL	(8% Min.)	167922.16	41.49	16.79	6.01%
4	PUBLIC - SEMI PUBLIC		224436.68	55.46	22.44	
	SUB TOTAL	(8% - 10%)	224436.68	55.46	22.44	8.03%
5	RECREATIONAL		84213.21	20.81	8.42	
	SUB TOTAL	(3% - 5%)	84213.21	20.81	8.42	3.01%
6	GREEN		419564.32	103.68	41.96	
	SUB TOTAL	(11% - 18%)	419564.32	103.68	41.96	15.01%
7	ROAD		58313.29	14.41	5.83	
	SUB TOTAL	(18% - 20%)	58313.29	14.41	5.83	20.87%
TOTAL			2794606.55	690.56	2794.61	100.0%

LEGEND

- RESIDENTIAL PLOTTED
- GROUP HOUSING
- E.W.S./LIG
- COMMERCIAL
- PUBLIC/SEMI PUBLIC /FACILITY
- GREEN
- RECREATIONAL
- INDUSTRIAL

NOTE :- It is important to mention here that the layout of the project also includes land comprised of ponds etc. as per the revenue records. As per the GO No. 744/1-2016-20(5)/2016 dated 03.06.2016 issued by Government of Uttar Pradesh there is a provision of exchange for such land. Developer hereby undertake not to sell, allot or create any third party interest on the plots envisaged on such lands unless until the title is validly transferred in favor of the Company by way of exchange.



PROPOSED REVISED LAYOUT PLAN OF DPR - OMAXE HI-TECH CITY AT LUCKNOW

CLIENT:-
M/s OMAXE GARV BUILDTECH Pvt.Ltd.
LSC-10, KALKAJI, NEW DELHI-110019.

CONSULTANTS:-
OMAXE LTD.
LSC-12, KALKAJI, NEW DELHI-110019

OWNER'S SIGN


ARCHITECT'S SIGN
AR JAI SINGH VERMA
CA/2010/50948

SCALE:-
1:4000
SHEET NO.
OMX/HI-TECH-MR1



PHASE - 9 BOUNDARY (AREA - 41255 SQMT.)

TO LUCKNOW



B
SECTOR - B

COMM - 2
CITY CENTRE/ZONAL SHOPPING
49795.75
12.30 ACRES

COMM - 2B
5407.95
1.34 ACRES

COMM - 1
CITY CENTRE/ZONAL S
18127.27
4.48
ACRES

24 MT. WIDE ROAD (excluding canal)